121 (13)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश, खण्डपीठ रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

Rs. 30/-

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

III/निग0/सिंगरौली/2017/2720

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक-......./2017

लहुरमन पिता सुखलाल पनिका उम्र 56 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम कोनी तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0 --------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम,

विजय तनय लाल जी जायसवाल उम्र 50 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम कोनी, तहसील सरई जिला सिंगरौली म0प्र0 --------अनावेदक/उत्तरवादी.

अधि0 श्री विवेक शर्मा
द्वारा पेश / 18-8-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ...
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, देवसर जिला सिंगरौली के राजस्व अपील क्रमांक- 15/अपील/2016-17 पारित आदेश दिनांक 6.7.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959,

मान्यवर,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत है:-

-: प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य :-

(अ) यह कि अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनो एक ही ग्राम कोनी तहसील सरई, जिला सिंगरौली के निवासी है, जिसमें से अपीलार्थी आदिवासी (पनिका) जाति का व्यक्ति है, जबकि उत्तरवादी गैर आदिवासी पिछड़ी जाति का जायसवाल है। ग्राम कोनी तहसील सरई, जिला सीधी मे स्थित भूमि खसरा क्रमांक- 1629 रकबा 0.12 हे0 का अपीलार्थी अनन्य स्वामी एवं आधिपत्यधारी है, जिसमें उत्तरवादी का कभी कोई वैध हित स्वत्व नही

(13)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 2720 जिला–सिंगरौली

लहुरमन पनिका / विजय जायसवाल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 15 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	